98 संलग्नक-14

कोड 35/08-01-2015/(14-15)

व्यय वित्त समिति की बैठक

(दिनांक 08-01-2015)

कार्यवृत्त

सहायक अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम
पिपरी-सोनभद्र

व्यय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान,उत्तर प्रदेश,
छठा तल,योजना भवन,लखनऊ।
(जनवरी-2015)

रागिनी सिंह,
निदेशक,

दूरभाषः 2237604 (का0)
अ0शा0प0सं0–391/प्रा0र0मू0प्र0/14
व्यय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान,उत्तर प्रदेश
628, योजना भवन, लखनऊ।

दिनॉक : 09 जनवरी, 2015

प्रिय महोदय,

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 08–01–2015 का कार्यवृत्त आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। कृपया वांछित कार्यवाही शीघ्र कराने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीया,

(रागिनी सिंह)

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

सहायक अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम
पिपरी-सोनभद्र

13— जनपद सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना का संशोधित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रू0 225229.25 लाख)

उपस्थिति संलग्न है।

श्री धीरज साहू, सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रायोजना को समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि जनपद सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना का संशोधित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव प्रस्तावित लागत रू0 225229.25 लाख व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है। पुनरीक्षित प्रायोजना का आगणन अधिशासी अभियंता, कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पिपरी, सोनभद्र द्वारा तैयार किया गया है, जो अधीक्षण अभियंता, कनहर निर्माण मण्डल, सोनभद्र द्वारा संस्तुत तथा प्रमुख सचिव, सिंचाई द्वारा अनुमोदित है। प्रायोजना की प्रस्तावित संशोधित पुनरीक्षित लागत रू0 225229.25 लाख के सापेक्ष प्रभाग द्वारा रू0 223934.65 लाख लागत आकलित की गयी है।

श्री अवध नरेश गुप्ता, प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रायोजना की मूल स्वीकृति पत्रांक-258, दिनांक 29-1-1979 द्वारा रू0 27.75 करोड़ लागत की हुयी थी, जो वर्ष 1976-77 की अनुसूची दरों पर आधारित थी। प्रायोजनान्तर्गत तीन राज्यों यथा-मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जानी है, इसमें डूब क्षेत्र से विस्थापित/ प्रभावित, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास आदि कार्यों पर अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण सी0डब्लू0सी0 द्वारा क्लीयरेन्स नहीं दिया गया। इस प्रायोजना से प्रभावित राज्यों वर्तमान में छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड द्वारा वर्ष 2002 तक अनापत्ति प्राप्त हो सकी, इसके पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मूल प्रायोजना की बढ़ी हुई लागत रू0 652.58 करोड़ पर दिनांक 16-9-2010 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात् व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.10.2010 में रू0 652.58 करोड़ की लागत पर अनुमोदन प्रदान किया गया, जो वर्ष 2008 की अनुसूची दरों पर आधारित थी, जिसकी स्वीकृति शासनादेश संख्या-4402/10-27-सिं- 04-172 (डब्लू)परि0/06, दिनांक 15.11.2010

सहायक अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम
पिपरी-सोनभद्र

द्वारा रू0 652.58 करोड़ पर प्रदान की गयी। इसके पश्चात् व्यय वित्त समिति की बैठक में दिनांक 16.12.2013 में रू0 176180.73 लाख की पुनरीक्षित लागत पर अनुमोदन प्रदान किया गया, जो वर्ष 2013 की अनुसूची दरों पर आधारित थी। व्यय वित्त समिति के अनुमोदनोपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा अन्तर्राज्यीय परियोजना एवं वृहद परियोजना होने के कारण पुनरीक्षित प्रायोजना को पत्रांक-74/14-27-सिं0-4-172 (डब्ल्यू), दिनांक 20.01.2014 द्वारा केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली भेजी गयी। प्रायोजना पर केन्द्रीय जल आयोग के तकनीकी सलाहकार समिति की 124वीं बैठक दिनांक 16.10.2014 में रू0 2252.2925 करोड़ की लागत अनुमोदित की गयी है। पुनरीक्षित प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, कनहर सिंचाई परियोजना (विन्ध्याचल), मीरजापुर सिंचाई विभाग, उ0प्र0 के पत्रांक-1952/ क0सिं0प0/दिनांक 22.12.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

श्री अवध नरेश गुप्ता, प्रमुख अभियंता, सिंचाई द्वारा प्रायोजना के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि प्रायोजना की प्रथम पुनरीक्षित स्वीकृति व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 16, दिसम्बर, 2013 में रू0 1761.81 करोड़ की लागत पर हुई थी, जो वर्ष 2013 की अनुसूची दरों पर आधारित थी, जिसे शासन के पत्रांक-74/14-27-सिं0-4-172 (डब्ल्यू), दिनांक 20.01.2014 द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा Directorate, Barrage and Canal Design (N&W), Directorate, CMDD (N&W) and Hydel civil designs (N&W) को कनहर प्रायोजना के महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर-स्पिलवे, एक्वाडक्ट एवं सुरंग के तकनीकी परीक्षण हेतु भेजा गया। पुनरीक्षित प्रायोजना के तकनीकी परीक्षण के पश्चात् Directorate, CMDD (N&W) द्वारा स्पिलवे की लम्बाई 237.00 मीटर से बढाकर 311.75 मीटर, स्पिलवे की 90 प्रतिशत कांक्रीट, जो एम-10 ग्रेड की थी, उसे मानक के अनुसार एम-15 ग्रेड में परिवर्तित किये जाने, स्पिलवे के रेडियल गेट की संख्या एवं माप 15 नग (13m.x14.5m.) से बढ़कर 16 नग (15.5m.x14.5m.) व गेट का ऑपरेशन केन्द्रीय जल आयोग के मानक के

सहायक अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम
पिपरी-सोनभद्र

अनुसार हाइड्रोलिक होइस्ट के माध्यम से करने तथा स्टाप लाग गेट व दो नग अण्डर स्लूस गेट एवं दायीं कनहर नहर पर प्रस्तावित सुरंग के निर्माण हेतु अपस्ट्रीम में 900.00 मीटर कीं लम्बाई जिसमें 6.00 मीटर से 18.00 मीटर की गहरी खुदाई है, के भाग को पुनरीक्षित प्रायोजना में समायोजित किये जाने के कारण प्रायोजना की लागत में वृद्धि हुई है, जिसके कारण प्रायोजना को पुनरीक्षित किया गया है। केन्द्रीय जल आयोग के तकनीकी सलाहकार समिति की 124वीं बैठक में दिनांक 16.10.2014 में रू0 225229.25 लाख की लागत अनुमोदित की गयी, जिसके कारण प्रायोजना के संशोधित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव को पुनः व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

श्री सुब्रन कुमार, सहायक निदेशक, पर्यावरण द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि 900 मी0 टनल का निर्माण ब्लास्टिंग करके किया जाना है, जिसके लिए पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लिया जाना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में श्री के0बी0 द्विवेदी, मुख्य अभियंता, कनहर परियोजना द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रायोजना पर निर्माण कार्य किया जा रहा है यह आन गोइंग प्रायोजना है, इसका पर्यावरणीय क्लीयरेन्स मेम्बर सेक्रेटरी इन्वायरोमेन्टल एप्रेजल कमीशन द्वारा 16 अप्रैल, 1981 कों ही प्रदान किया जा चुका है। अब पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि संशोधित प्रायोजना के ड्राइंग एवं डिजाइन एवं प्रस्तावित कार्यों की प्रकृति के अनुरूप पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त किया जाना आवश्यक हुआ तो पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त कर लिया जायेगा।

समिति की अपेक्षा पर श्री अवध नरेश गुप्ता, प्रमुख अभियंता, सिंचाई द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कनहर नदी पर 3.24 कि0मी0 लम्बाई, 39.90 मी0 ऊँचा बांध बनाकर 0.15 मिलियन एकड़ फीट जल सिंचाई के उपयोग में लाया जायेगा, जिससे 121.10 कि0मी0 मुख्य नहर व शाखायें, 150.00 कि0मी0 लम्बी राजवाहे व अल्पिकाओं के माध्यम से 35467 हे0 सिंचाई का लक्ष्य रखा गया, जिससे प्रतिवर्ष 2917119.00 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन होगा एवं दुद्धी एवं विढमगंज विकासखण्डों

सहायक अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम
पिपरी-सोनभद्र

के 108 ग्रामों के 15845 परिवारों की लगभग 1.00 लाख से अधिक जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा सिंचाई विभाग की पूर्व में निर्मित 12 बन्धियों को भी जलापूर्ति की जायेगी तथा प्रायोजना का कार्य वर्ष 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा प्रायोजना के वित्तपोषण के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी। इस सम्बन्ध में श्री अवध नरेश गुप्ता, प्रमुख अभियंता, सिंचाई द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रायोजना पर मार्च 2014 तक रू0 113.55 करोड़ व्यय किया गया है तथा भौतिक प्रगति 16 प्रतिशत है। यह प्रायोजना भारत सरकार के केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की ए0आई0बी0पी0 योजना में वित्तपोषित की जानी है। ए0आई0बी0पी0 योजना में वित्तपोषित किये जाने हेतु प्रायोजना के कार्य की 50 प्रतिशत भौतिक प्रगति एवं 50 प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था पूर्ण की जानी होगी। इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू0 155.00 करोड़ की बजट व्यवस्था उपलब्ध है। इस प्रकार प्रायोजना हेतु रू0 268.55 करोड़ राज्य के संसाधन से कार्य कराया जाना है, इसके अतिरिक्त रू0 727.03 करोड़ का ऋण नाबार्ड के पत्रांक-N.B.UPRO/RIDF-XIX (Uttar Pradesh)/ 140PSC/2013-14, Dt. 19.02.2014 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृत की गयी है, जिसके शिड्यूल-2 में 1-8 शर्तें लगाई गयी हैं, जिसमें शर्त सं0-1 में उल्लेख किया गया है कि "All required approval viz. CWC, WRD, Planning commission, GoI etc. shall be obtained before release of fund, as it is a multi-state Project", जिसके कारण नाबार्ड द्वारा अभी तक धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। पुनरीक्षित संशोधित प्रायोजना पर केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। व्यय वित्त समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इसके पश्चात् प्रायोजना को भारत सरकार के केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की ए0आई0बी0पी0 योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु प्रेषित की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम
पिपरी-सोनभद्र

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2013 में कनहर प्रायोजना की ई0एफ0सी0 की मीटिंग में ए0आई0बी0पी0 से फण्डिंग किये जाने हेतु निम्न अपेक्षा की गयी:–

- 50% physical progress on five key Identified items by Central Water Commission.
- 50% of physical expenditure of latest estimated cost and land required for completion of project should be in physical possession of the Department,
- In view of the discussion held in the EFC, you may like to proceed with the project accordingly.

उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री अवध नरेश गुप्ता, प्रमुख अभियंता, सिंचाई द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु राज्य सरकार के संसाधन से रू0 268.55 करोड़ एवं नाबार्ड से रू0 727.03 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। प्रायोजना ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम व नक्सल प्रभावित क्षेत्र की योजना से भी आच्छादित क्षेत्र में है। अतः इन स्कीमों के अधीन एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से अवशेष धनराशि प्राप्त कर प्रायोजना का 50 प्रतिशत का कार्य करा लिया जायेगा ताकि भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की ई0एफ0सी0 की बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2013 की अपेक्षानुरूप कार्यवाही पूर्ण की जा सके। समिति द्वारा अपेक्षा की गयी कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु ए0आई0बी0पी0 से धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जायें जिससे प्रायोजना का कार्य समय से पूर्ण किया जा सके।

सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रायोजना को प्रस्तावित संशोधित पुनरीक्षित लागत रू0 225229.25 लाख के सापेक्ष रू0 223934.65 लाख की लागत पर अनुमोदित करते हुए निम्न निर्देश दिये गये :–

1– प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

2– प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

39/41

सहायक अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम
पिपरी-सोनभद्र

3– चूँकि प्रायोजना अन्तर्राज्यीय है, अतः प्रशासकीय विभाग सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान प्रायोजना पर आवश्यक अन्तर्राज्यीय (छत्तीसगढ़ राज्य एवं झारखण्ड राज्य) सहमति प्राप्त है, इन राज्यों के द्वारा प्रदान की गयी सहमति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये तथा केन्द्रीय जल आयोग की सहमति एवं भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय से वर्तमान प्रायोजना पर यथावश्यक क्लीयरेन्स/अनुमोदन नियमानुसार प्राप्त कर लिया जाये।

4– प्रशासकीय विभाग आवश्यक जॉचोपरान्त इस तथ्य पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना चाहेंगे कि जब अन्तिम डिजाइन एवं ड्राइंग वर्ष 2011 से 2013 में अनुमोदित हुई तो प्रायोजना पर पूर्व में कार्य क्यों और किन परिस्थितियों में कराये गये।

5-- केन्द्रीय जल आयोग की ए0आई0बी0पी0 योजना एवं नाबार्ड की गाइड लाइन्स की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।

6-- प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एंव पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7– प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

8-- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुंसगत वित्तीय नियमों के अधीन किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभाग का होगा।

9– प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना हेतु भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के ए0आई0बी0पी0 योजना से 50 प्रतिशत की धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जायें।

10-- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/

सहायक अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम
पिपरी-सोनभद्र

कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

11– प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यो की प्रगति के सतत् अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ पी0एफ0ए0डी0 को भी उपलब्ध कराया जाय।

12– प्रश्नगत प्रायोजना के कार्यों की आवश्यकता एवं औचित्य को स्पष्ट करते हुए तथ्यात्मक विवरण के साथ प्रस्ताव को पर्यावरण विभाग को सन्दर्भित कर दिया जाय, जिसके सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की आवश्यकता एवं औचित्य का परीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करेंगे।

(कार्यवाहीः सिंचाई विभाग,उ0प्र0 शासन)

++++++++++++++++

सहायक अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम
पिपरी-सोनभद्र

संलग्नक

दिनॉक 08–01–2015 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक की उपस्थिति

क0सं0	नाम	पदनाम/विभाग	हस्ताक्षर
1	श्री राहुल भटनागर	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	अध्यक्ष
2	श्री संजीव मित्तल,	प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा	सदस्य
3	डा0 हरिओम	सचिव, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
4	श्री धीरज साहू	सचिव, सिंचाई विभाग	सदस्य
5	श्री एस0के0 रघुवंशी	सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग	सदस्य
6	श्री भुवनेश कुमार	सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग	सदस्य
7	श्री आर0सी0 बरनवाल	मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग	सदस्य
8	श्री जे0बी0 सिंह	विशेष सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य–प्रतिनिधि
9	श्री सूर्य नारायण शुक्ला	विशेष सचिव, गृह विभाग	सदस्य–प्रतिनिधि
10	श्री हरिकान्त त्रिपाठी	विशेष सचिव, आवास	सदस्य–प्रतिनिधि
11	श्री सुब्रन कुमार	सहायक निदेशक, पर्यावरण	सदस्य–प्रतिनिधि
12	श्री अवध किशोर	अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा	सदस्य–प्रतिनिधि
13	श्री शिवजनम चौधरी	सं0स0, आवास विभाग	विशेष आमंत्री
14	श्री अवध नरेश गुप्ता	प्रमुख अभियंता, सिंचाई	विशेष आमंत्री
15	श्री राजन मित्तल	एम0डी0, यू0पी0एस0बी0सी0	विशेष आमंत्री
16	श्री डी0एस0 अरोरा	सं0प्र0नि0, सेतु निगम, लखनऊ	विशेष आमंत्री
17	श्री पी0सी0 अग्रवाल	मु0परि0प्र0, सेतु निगम, लखनऊ	विशेष आमंत्री
18	श्री मो0 सलीम अहमद	निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	विशेष आमंत्री
19	श्री ए0के0 शुक्ला	संयुक्त निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद	विशेष आमंत्री
20	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	मु0अ0, का0वि0प्रा0	विशेष आमंत्री
21	श्री के0बी0 द्विवेदी	मु0अ0, कनहर परियोजना	विशेष आमंत्री
22	श्री सुरेन्द्र कुमार	महाप्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0 लि0	विशेष आमंत्री
23	सुश्री रीना अग्रवाल	महाप्रबन्धक उ0प्र0रा0नि0नि0 लि0	विशेष आमंत्री
24	श्री अवनि कुमार	महाप्रबन्धक(तक0), उ0प्र0रा0नि0नि0 लि0	विशेष आमंत्री
25	श्री लालजी द्विवेदी	मुख्य अभियंता, पैकफेड	विशेष आमंत्री
26	श्री एन0 राम	अधीक्षण अभियंता, सेतु, लोक निर्माण विभाग	विशेष आमंत्री
27	श्री ए0के0 मिश्रा	अधीक्षण अभियंता, नियोजन, लो0 नि0 वि0	विशेष आमंत्री
28	श्री धर्मेन्द्र कुमार	यूनिट इंचार्ज, उ0प्र0रा0नि0नि0 लि0	विशेष आमंत्री
29	श्री कमलेश सिंह	परि0प्र0, सी0 एण्ड डी0एस0	विशेष आमंत्री
30	श्री देवेन्द्र स्वरूप	निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग	विशेष आमंत्री
31	डा0 मिठाई सिंह यादव	संयुक्त निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग	विशेष आमंत्री
32	श्रीमती रागिनी सिंह	निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग	सदस्य–संयोजक

+++++++

सहायक अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम
पिपरी-सोनभद्र

संलग्नक–1

<u>कनहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत हेड वर्क्स एवं इससे सम्बन्धित कार्यों का पुनरीक्षित प्रायोजना का लागत विश्लेषण</u>

(लागत लाख रू0 में)

क्र0 सं0	मद	प्रभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत लागत	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत लागत			प्रभाग द्वारा आकलित लागत			लागत वृद्धि
			सम्पादित कार्यो की लागत	अवशेष कार्यो की लागत	कुल योग	सम्पादित कार्यो की लागत	अवशेष कार्यो की लागत	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A-Preliminary	962.52	621.22	623.70	1244.92	621.22	623.70	1244.92	282.40
2	B-Land	0.00	3424.19	23233.39	26657.58	0.00	0.00	0.00	0.00
3	C-Works	64124.67	2009.44	102565.41	104574.85	2009.44	102483.73	104493.17	40368.50
4	D-Regulator	251.98	0.00	251.98	251.98	0.00	251.98	251.98	0.00
5	E-Fall	349.67	0.00	349.67	349.67	0.00	349.67	349.67	0.00
6	F-Cross Drainage work	22933.09	2170.45	22349.06	24519.51	2170.45	22349.06	24519.51	1586.42
7	G-Bridges	2697.13	12.72	3888.68	3901.40	12.72	3888.68	3901.40	1204.27
8	H-Escape	525.21	0.00	525.21	525.21	0.00	525.21	525.21	0.00
9	J-Power Plant-civil works	542.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-542.34
10	K-Building	1340.14	372.74	716.87	1089.61	372.74	716.87	1089.61	-250.53
11	L-(i) Earth work	9548.81	1008.60	12430.91	13439.51	1008.60	12430.91	13439.51	3890.70
	L-(ii) Lining	9614.32	0.00	8387.28	8387.28	0.00	8387.28	8387.28	-1227.04
	L-(iii) Service Road	363.45	0.00	363.45	363.45	0.00	363.45	363.45	0.00
	L-(iv) Tunnel	9191.79	871.00	9074.80	9945.80	871.00	9074.80	9945.80	754.01
12	M-Plantation	485.22	11.42	473.79	485.21	11.42	473.79	485.21	-0.01
13	N-Tanks & reservoirs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	O-Miscellaneous	849.07	369.16	897.34	1266.50	369.16	897.34	1266.50	417.43
15	P-Maintenance	1297.57	125.73	1680.56	1806.29	125.73	1680.56	1806.29	508.72
16	Q-Special T&P	155.49	155.49	0.00	155.49	155.49	0.00	155.49	0.00
17	R-Communication	594.72	155.42	434.66	590.08	155.42	434.66	590.08	-4.64
18	S-Power plant & Electrical sys.	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-270.45
19	T-Water supply works	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	U-Dys and Minors	3986.70	0.00	4617.69	4617.70	0.00	4617.69	4617.70	631.00
21	V-Water courses	468.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-468.24
22	X- Environment & Ecology	5139.36	41.26	4842.98	4884.24	41.26	4842.98	4884.24	-255.12
23	Y-Losses on Stock	320.33	6.16	420.14	426.30	6.16	420.14	426.30	105.97
	Total Works :-	**136012.27**	**11355.00**	**198127.57**	**209482.58**	**7930.81**	**174812.50**	**182743.32**	**46731.05**
	Less 5%	-6800.61	-	-	-	-	-	-	-
	@6.875% Centage chargess					545.24	12018.36	12563.60	
	Total	**129211.66**	**11355.00**	**198127.57**	**209482.58**	**8476.05**	**186830.86**	**195306.92**	**46731.05**
	Establishment Charges 12.5%	16151.46	-	-	-				-
	Labour Cess 1%	1258.83	-	-	-				-
	Total	**146821.94**	**11355.00**	**198127.57**	**209482.58**	**8476.05**	**186830.86**	**195306.92**	-
	<u>DIRECT CHARGES :-</u>								
I	Establishment (10% of work)	0.00	3382.10	10337.92	13720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Tools and Plant (1% of I-work excluding cost of land)	1292.12	28.30	1981.28	2009.58	84.76	1868.31	1953.07	660.95
III	Receipts and recoveries on capital account	-234.23	-153.21	-57.22	-210.43	-153.21	-57.22	-210.43	23.80
	Total Direct charges:-	**11667.57**	**3257.19**	**12261.98**	**15519.15**	**476.79**	**13829.45**	**14306.24**	**2638.67**
	<u>INDIRECT CHARGES</u>								
(a)	Capitalized abatement of land revenue @5%	190.06	0.00	227.51	227.51	0.00	227.51	227.51	37.45
(b)	Audit and accounts charges @1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Indirect charges:-	**190.06**	**0.00**	**227.51**	**227.51**	**0.00**	**227.51**	**227.51**	**37.45**
	B-Land	28310.83	-	-	-	3424.19	23233.39	26657.58	-1653.25
	Grand Total :-	**176180.73**	**14612.19**	**210617.06**	**225229.24**	**11831.79**	**212102.85**	**223934.65**	**47753.92**

सहायक अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम
पिपरी-सोनभद्र

(104)

No. 16/27/2010-PA (N)/ 1939 - 1964

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL WATER COMMISSION

PROJECT APPRAISAL ORGANIZATION

107, SEWA BHAWAN, R. K. PURAM, NEW DELHI-110 066

Date: 04.10.2010

Sub: 106th meeting of the Advisory Committee for consideration of techno-economic viability of Irrigation, Flood Control and Multipurpose Project proposals held on 16.09.2010.

Enclosed please find herewith a copy of the summary record of discussions of the above meeting held at New Delhi on 16th September, 2010 at Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi for information and necessary action.

Encl.: As above

(S.K. Srivastava) 04
Chief Engineer (PAO) cum
Member Secretary of the
Advisory Committee

O/C

To

Members of Committee:

1. Chairman, CWC, Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi.
2. Secretary (Expenditure), Ministry of Finance, (1st Floor) North Block, New Delhi.
3. Secretary, Department of Power, S.S. Bhawan, IInd Floor, New Delhi.
4. Secretary, Ministry of Environment & Forests, 4th Floor, Room No- 404/05 Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi.
5. Secretary, Ministry of Tribal Affairs, Room No. 738, A-Wing, Shastri Bhawan, New Delhi.
6. Secretary, Department of Agriculture & Cooperation, Room No 126, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Director General, ICAR, Room No-108, Krishi Bhawan, New Delhi.
8. Chairman, CEA, Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi.
9. Chairman, Central Ground Water Board, Jam Nagar House, Man Singh Road, New Delhi.
10. Principal Adviser (WR), Planning Commission, Room No-255, Yojana Bhawan, New Delhi.
11. Principal Adviser (Power), Planning Commission, Room No-107 Yojana Bhawan, New Delhi.
12. Financial Adviser, Ministry of Water Resources, Room No-401 S.S. Bhawan, New Delhi.

Special Invitees:

13. Member (WP&P), CWC, New Delhi.
14. Member (D&R), CWC, New Delhi.
15. Member (RM), CWC, New Delhi.
16. Chairman, GFCC, Sinchai Bhawan, Patna - 800 015, Bihar.
17. Commissioner (Projects), Room No-411, S.S. Bhawan, MoWR, New Delhi.

सहायक अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम
पिपरी-सोनभद्र

After brief discussion, the committee accepted the proposal subject to the condition that the project would be completed by March, 2013 at the finalized cost and further time and cost overrun would not be considered by the committee.

11. KANHAR IRRIGATION PROJECT (NEW -MAJOR), UTTAR PRADESH:

CE (PAO), CWC briefly introduced the project. The Kanhar Irrigation Project envisages construction of a 3.003 km long earthen dam across river Kanhar, a tributary of river Sone. The project is proposed to provide irrigation benefits to an area of 27,898 ha (CCA-26,075 ha) annually to the Dudhi and Robertsganj Tehsils of Sonebhadra District which falls in the drought prone area of Uttar Pradesh.

The Cost Estimate for the project has been finalized as: Rs. 652.59 crore at 2008-09 Price Level with BC ratio of 1.17. State Finance Concurrence has been submitted by the Project Authorities (**Annexure-V**).

Ganga Wing, MoWR has informed vide their letter No. 7/17/2008-Ganga/ 5511-13 dated 15th September, 2010 that TAC Note of Kanhar Irrigation Project does not have any information about international aspect of the project. The project authorities informed that Kanhar Project has been taken up for utilizing 0.15 MAF of Kanhar water out of total allocation of 0.25 MAF to Uttar Pradesh as per Bansagar Agreement (reached on 16th September, 1973 prior to Indo-Bangladesh treaty on sharing of Gaga water).

After brief discussion, the committee accepted the proposal.

12. RESTORING CAPACITY OF WESTERN GANDAK CANAL SYSTEM, UTTAR PRADESH (NEW-ERM -MAJOR-):

CE (PAO), CWC briefly introduced the project. The Western Gandak Canal project (UP portion) was originally approved by Planning Commission in the year 1960 for an estimated cost of Rs. 50.39 crore. The work on this project was started in the year 1961 and completed in the year 1994. Later on, the revised estimate of the project was considered in the 57th meeting of TAC held on 27.01.1994 for Rs. 154.38 crore. However Planning Commission did not accord investment clearance to revised cost of the project

The Govt. of Uttar Pradesh has now submitted the ERM proposal of the existing project to restore the designed discharge of the main canal, branch canal as well as distributaries which is reduced substantially due to accumulation of silt. The present

सहायक अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम
पिपरी-सोनभद्र